



ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय, कोरबा (छ.ग.)
JYOTI BHUSHAN PRATAP SINGH LAW COLLEGE
KORBA (C.G.)



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
से सम्बद्ध विद्यालय प्रथम एवं एकमात्र विधि महाविद्यालय



BAR COUNCIL OF INDIA

BAR COUNCIL OF INDIA

MILLENNIUM PLEDGE

"While Entering the New Millennium, The BAR COUNCIL OF INDIA vision for better world. We Dedicate ourself to strive for maintenance of highest standards of professional ethics, advancement of legal profession and service and service to HUMANITY"



बार कौंसिल ऑफ इंडिया से सम्बद्ध विधि महाविद्यालय





INTRODUCTION

हम उन सभी पालकों के आभारी हैं जिन्होंने अपनी आस्था एवं विश्वास हमारे संस्थान को देते हुए अपने बच्चों का प्रवेश ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय कोरबा में कराया। आज हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि हमने पालकों एवं छात्र-छात्राओं की आवश्यकताओं तथा उम्मीदों से अधिक सुविधाएं संस्था में उपलब्ध करायी हैं। हमें अपने आपको आपके समक्ष एक सम्पूर्ण संस्थान के रूप में प्रदर्शित करते हुए गर्व है। महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियाँ एवं सुविधाओं को हमने इस पुस्तिका में आपकी जानकारी के लिये संकल्पित किया है।



डॉ. आर.एन. पाण्डेय

अध्यक्ष

कमला नेहरू महाविद्यालय समिति, कोरबा



श्री अशोक शर्मा

सचिव

कमला नेहरू महाविद्यालय समिति, कोरबा

MISSION

- छात्र-छात्राओं का विधि द्वारा सर्वांगीण विकास करना।
- छात्र-छात्राओं को बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रगति पर लाना।
- छात्र-छात्राओं को अपने तथा अपने समाज के हित एवं अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित करना।
- उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छे नागरिक बनाना।
- विधि के क्षेत्र में विभिन्न रूप में कार्य करते हुए सामाजिक न्याय तथा विकास हेतु प्रेरित करना।

INSTITUTE

कोरबा जिले के इस प्रथम विधि महाविद्यालय की स्थापना 1 सितम्बर 2006, शुक्रवार को उक्त समय हुआ जब विधि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र-छात्राएं राहुर छोड़कर समस्याओं का सामना कर बाहर पढ़ते थे। रात्र 2006 में 80 छात्र-छात्राओं के साथ विधि प्रथम वर्ष में इस महाविद्यालय का आरंभ हुआ जो वर्तमान में 250 से अधिक छात्र-छात्राएं विधि की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं विधि महाविद्यालय कोरबा में आपके द्वारा प्रवेश हेतु लिये गये निर्णय का स्वागत करता हूँ। आज विश्वविद्यालय में हमारे महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं प्रावीण्य सूची में स्थान बना रहे हैं। विधि के छात्र-छात्राएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाये एवं महाविद्यालय का नाम रोशन करें।



Dr Kiran Chouhan
Principal



BAR COUNCIL OF INDIA

ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय कोरबा, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं बार कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त है। यहाँ विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त विषय एवं पाठ्यक्रम ही पढ़ाये जाते हैं। ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय का संचालन कमला नेहरू महाविद्यालय समिति कोरबा द्वारा किया जाता है।

FUTURE PLAN

1. संचालन का पूर्णतः कंप्यूटरीकरण करना।
2. महाविद्यालय को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करना।
3. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विधि संगोष्ठी का आयोजन करना।
4. बी.ए., बी.कॉम एलएल.बी. कोर्स शीघ्र प्रारंभ करना।
5. एलएल.एम. कोर्स शीघ्र प्रारंभ करना।

ACADEMIC PROGRAMMES

LL.B.-I	120 Seats
LL.B.-II	80 Seats
LL.B.-III	80 Seats

प्रवेश नियमावली

महाविद्यालय का सैकूलिक स्त्र उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर एवं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के अकादमिक कैम्पेण्डर के अनुसार संचालित होता है। महाविद्यालय में उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर एवं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के नियमानुसार प्रवेश प्रदान किया जाता है। प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राओं को प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश समिति द्वारा छात्र-छात्राओं की योग्यता, प्रावैष्यता के आधार पर चयन किये जाने तथा प्राचार्य की स्वीकृति पर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। विश्वविद्यालय परीक्षा में नकल करते पकड़े छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

प्रवेश- पात्रता-

1. किसी भी संकाय में स्नातक उत्तीर्ण- 45% (अनु.जाति/अनु.जनजाति- 5% प्द)

प्रवेश हेतु आवश्यक प्रपत्र

1. महाविद्यालय द्वारा जारी आवेदन प्रपत्र
2. अंकसूची की सत्यापित प्रतिलिपि
3. स्थानांतरण प्रमाण पत्र - मूल प्रति
4. चरित्र प्रमाण पत्र - मूल प्रति
5. प्रयोजन प्रमाण पत्र - मूल प्रति
6. पात्रता प्रमाण पत्र- अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से प्रवेश के माह से जाने वाले छात्रों के लिये
7. अंतराल प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो
8. पासपोर्ट साइज की नवीनतम 3 फोटो।
9. जाति / निवास प्रमाण पत्र

परिचय पत्र

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र-छात्राओं को डिजिटल परिचय पत्र जारी किया जायेगा।
2. परिचय पत्र प्रत्येक छात्र-छात्रा के लिये अनिवार्य है।





पुस्तकालय: हमारे ग्रंथालय में विधि विषय से संबंधित कुल पुस्तकों की संख्या लगभग 8050 है, जिसमें विधि-प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष की पुस्तकें शामिल हैं। ग्रंथालय में विधि से संबंधित समसामयिक पत्रिका, सुप्रीम टुडे, 1951 से अब तक का सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय, E-Library साफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध है। द प्रेक्टिकल लॉयर, द एडिक्ट लॉयर उपलब्ध है। इसके साथ A.I.R. सुप्रीम कोर्ट केस, ईश्वोरेस केस, म प्र जजमेंट के अलावा विधि से संबंधित सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं।



बूट कोर्ट एवं सांख्यिक गतिविधियाँ : महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की प्रतिभा एवं विधिक कौशल हेतु बूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव के मंचन हेतु महाविद्यालय में सर्वसुविधायुक्त ओपन थियेटर उपलब्ध है।

साथ ही विधिक साक्षरता दिवस, मानवाधिकार दिवस, निबंध प्रतियोगिता, प्रथम मंच, वाद-विवाद, काव्य गोष्ठी, चित्रकला, सेमिनार, कार्यशाला आदि का आयोजन किया जाता है तथा वैज्ञानिक सत्र में विभिन्न न्यायालयों का भ्रमण भी कराया जाता है।



बीस : ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय कोरवा जिला का एकमात्र विधि महाविद्यालय है जहाँ विद्यार्थी विधि अध्ययन के साथ ही अत्याधुनिक विकास हेतु ज्ञान की आरम्भ देवी माँ सरस्वती पूजन के अवसर पर मध्य पूजा का आयोजन सुमधुर से किया जाता है।

स्वीजर्जिंग एवं बुक में बूट : महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को केन्द्र स्तर पर एवं डा. म. बालन द्वारा प्रदत्त छात्रसुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं। इसके साथ ही निरर्थक एवं जटिल छात्र-छात्राओं को बुक में विभिन्न प्रकार के बूट प्रदान करती हैं। महाविद्यालय में एक पालक के यदि दो छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हों तो एक की फीस में विद्यार्थ प्रदान की जाती है।

बाजेंस व सेबीनार : विगत वर्षों से महाविद्यालय में विभिन्न सेमिनारों का आयोजन हो रहा है। विगत वर्ष विधि महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थी एवं सत्र न्यायाधीश, छा. म. बा. लॉसिज के अध्यक्ष एवं अन्य पर्याप्तकारों, विभिन्न सरकारी सेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों के द्वारा विभिन्न मनसात्मक मुद्दों पर अपना विचार प्रकट कर महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के मध्य वैश्विक विकास करते हैं।

सेन : समिति द्वारा संचालित महाविद्यालय में डिम की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा इंटीग्रेड और जाउटसीर सेल की व्यवस्था है, हमारे महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को काफी कोलाहल किया जाता है।

रजिस्ट्रार : महाविद्यालय में देह-ऑफ सोसायटी का संचालन सीध प्रारंभ किया जा रहा है।

कैम्पस : ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय, कोरवा अपने स्वयं के भवन में संचालित है। कैम्पस में कैंटीन, फोटोकॉपी एवं फस्ट एंड बीस की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय परिसर सी सी टी वही कैम्पस की निगरानी में सुरक्षित है। महाविद्यालय परिसर में बूट कोर्ट, ई-उत्सव रूम, विधिक सहायता केन्द्र, रचना, जलपान गृह, मुद्रा वेबकॉज व्यवस्था है। महाविद्यालय में छे आयोजन कक्ष, नर्स क्वार्टर रूम है।

विश्वविद्यालय नामांकन - महाविद्यालय के स्नातक माग-एफ में प्रवेश प्राप्त एवं अन्य प्रदेश / विश्वविद्यालय से आए छात्र-छात्राओं को निर्धारित समय पर नामांकन प्राप्त करना होगा ताकि विश्वविद्यालय में उनका नामांकन हो सके। बिना नामांकन के छात्र-छात्राएँ विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। नामांकन कानून का पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र-छात्राओं का होगा।

उपस्थिति: आधार संज्ञित -

1. छात्र-छात्राओं की उपस्थिति प्रत्येक विषय / कक्षा में नियमित रूप से अनिवार्य है। जिन छात्र-छात्राओं की उपस्थिति किसी भी विषय में 75 प्रतिशत से कम होगी, उन्हें विश्वविद्यालय नियमानुसार परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
2. उपस्थिति प्रत्येक कालखण्ड में ली जाती है, छात्र-छात्राएँ अवकाश लेने की लिखित सूचना संबंधित प्राध्यापक को अनिवार्य रूप से दें।
3. छात्र-छात्राएँ महाविद्यालय में शारीरिक योग्यता में आएँ, उनके वजन किसी भी स्थिति में अपरिचितजनक नहीं होने चाहिए। अपरिचितजनक पोशाक पर महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।
4. हर छात्र-छात्रा को विभिन्न विषयों / विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित इकाई ऑफ परीक्षा, आंतरिक परीक्षा एवं सेमेस्टर में उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।
5. अपूर्ण, जलपान एवं क्षामक जानकारी के आधार पर प्रवेश प्राप्त छात्र-छात्राओं का प्रवेश सुनपा प्राप्त होते ही निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका उत्तरदायित्व संबंधित छात्र-छात्रा की होगी। ऐसी स्थिति में आवेकक द्वारा जमा की गई किसी भी राशि को वापस नहीं किया जायेगा।
6. प्रवेश प्राप्त छात्र-छात्रा यदि किसी तरह की आपराधिक गतिविधि में संलग्न रहते हैं। महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाते हैं या पहुंचाने का प्रयास करते हैं। महाविद्यालय के किसी अधिकारी / कर्मचारी से दुर्व्यवहार करते हैं तो उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
7. महाविद्यालय में शैक्षणिक प्रतियोगिता है, संलग्न होने की स्थिति में विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।
8. छात्र-छात्राएँ अध्ययन पर न ध्यान देना / मोबाइल नम्बर में परिवर्तन की सूचना तत्काल महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध करावें।
9. महाविद्यालय के सभी निवास उच्च शिक्षा संचालकलय रामपुर, जटल बिहार काजमेदी विश्वविद्यालय एवं कनारा मेडिक महाविद्यालय स्थिति कोरवा के द्वारा तब किये जाते हैं जो समय-समय पर परिवर्तनीय है। नियमों में परिवर्तन की सूचना छात्र-छात्राओं को दी जायेगी। महाविद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं पर ये नियम बंधनकारी होंगे।

इस्यारक्षण- महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कोई छात्र या छात्रा यदि सत्र के मध्य में संस्था छोड़ना / छोड़ती है तो उसे विमानमार्ग से वापस लौटनी होगी। संस्था छोड़ने के उचित कारण की लिखित सूचना देना, संस्था से बुक जमा करना व महाविद्यालय द्वारा जारी परिषद पर जमा करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय से प्राप्त सहायता तथा नि:शुल्क शिक्षा / छात्रवृत्ति / प्रोत्साहन की पुस्तकें / सेन सामग्री / एन्कलएच से प्राप्त सामग्री / कर्मिक प्रवृत्ति जोड़नी होगी। अवकाश प्रमाण पर प्रस्तुत करना होगा स्वयंसेवक एवं वॉलंट प्रमाण पर जारी करने के बाद ही प्रमाण ली जा सकती है। छात्र-छात्राएँ स्वयंसेवक प्रमाण पर जारी होने के 8 महीने में अवकाश सधि प्राप्त कर लेवें एवं इस हेतु प्रवेश के समय की रसीद प्रस्तुत करें।

सिटीजन शारी - महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र का छात्रा सत्रण द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने। कर्मिक प्रमाण ली में 8:00 बजे तक सुझा होगा इसी अवधि में कर्पोलटीन कार्य होने। 9:00 बजे तक प्रमाण ली में जाकर बुक जमा होगा। टैपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक छात्रवृत्ति प्रमाण ली में जाकर बुक जमा करवावें। 8:00 बजे से 8:30 बजे तक टीसी व वॉलंट प्रमाण ली में जाकर बुक जमा करवावें। 8:30 बजे से 2 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। महाविद्यालय में कर्मिक प्रमाण ली में जाकर बुक जमा करवावें, लॉजिक अनुसर होंगे- प्राधान्य से मिलने का समय टैपहर 2:00 बजे से 3:30 बजे तक होगा।



CORE FACULTY



श्री एच.के. पारखान (एलएल.एम., नेट)
 डॉ. किरण चौहान (एलएल.एम., पीएचडी)
 श्री अजयेश त्रिवेदी (एलएल.एम., सेट)
 श्री मतिपाल कहरा (एलएल.एम.)
 सुधी सुभा वर्मा (एलएल.एम.)
 श्री सात्विक राम (एम.डिब., नेट)

कार्यालयीन कर्मचारी

श्री धरम सिंह कंवर
 श्री नवनील कुमार रजक
 श्री सत्येन्द्र कुमार निर्माकर

प्रभारी प्राचार्य, पूर्व वायुसेना अधिकारी
 सहायक प्राध्यापिका
 सहायक प्राध्यापक
 सहायक प्राध्यापक
 अतिथि सहायक प्राध्यापिका
 श्रेयमाल

मुख्य लिपिक
 भूच
 भूच

सत्र 2019 वि वि प्रावीण्य
 सूची में स्थान

मूट कोर्ट विनर स्टुडेंट्स



रश्मि गनवानी
(पंचम)



अनुजा खरे



अर्चना शर्मा



महाविद्यालय की उपलब्धियाँ



कु. भारती कुलदीप
सिविल जज



कु. आरती ठाकुर
सिविल जज



दीपक चौहान
सहायक जिला सीईओ



अनिल कुमार सिंह
अभियोजन अधिकारी





CORE FACULTY



श्री एच.के. पारखान (एलएल.एम., नेट)
 डॉ. किरण चौहान (एलएल.एम., पीएचडी)
 श्री अश्वेत निवेदी (एलएल.एम., सेट)
 श्री मतिपाल कहरा (एलएल.एम.)
 सुषी सुभा वर्मा (एलएल.एम.)
 श्री सार्विक राम (एम.डिब., नेट)

कार्यालयीन कर्मचारी

श्री धरम सिंह कंवर
 श्री नवनीत कुमार रजक
 श्री सत्येन्द्र कुमार निर्माकर

प्रभारी प्राचार्य, पूर्व वायुसेना अधिकारी
 सहायक प्राध्यापिका
 सहायक प्राध्यापक
 सहायक प्राध्यापक
 अतिथि सहायक प्राध्यापिका
 श्रेयमाल

मुख्य लिपिक
 भूच
 भूच

सत्र 2019 वि.वि. प्रावीण्य
 सूची में स्थान

मूट कोर्ट विनर स्टूडेंट्स



रश्मि गनवानी
(पंचम)



अनुजा खरे



अर्चना शर्मा



महाविद्यालय की उपलब्धियाँ



कु. भारती कुलदीप
सिविल जज



कु. आरती ठाकुर
सिविल जज



दीपक चौहान
सहायक जिला सीईओ



अनिल कुमार सिंह
अभियोजन अधिकारी

